FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दीगोद

सूरज्या बाई बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 88,89 RTA नं. 37 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज (2018/0073)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/18	वाद वादी श्रीमती सुरज्या बाई की ओर से वकील श्री अनिल खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत की गयी मय दस्तावेज देखी गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी को तलब की जाकर पत्रावली लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत दीगोद में दिनांक 18/6/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हुई। वादनी मय अधिवक्ता एवं विवादित आराजी का सहखातेदार वादनी का भाई सूरजमल मजमें आम में उपस्थित। वकील वादनी को सुना गया। वकील वादनी ने कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 654 रकबा 1.02 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम सूंजा बाई दर्ज है। जबकि ग्राम देवपुरा स्थित ख0नं0 689, 690, 732 के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम सूरजा बाई अंकित है। अतः	निशान अंगूठा सूरजमल (हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो किस... तामील में ...
	2018/60/03	

विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम सूंजा बाई के स्थान पर सूरजबाई दर्ज किया जावें।

मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार सूरजमल ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा वादनी का वास्तविक नाम सूरजाबाई होनें के कथन किये, साथ ही सूरजमल नें वादनी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में सूंजा बाई के स्थान पर सूरजा बाई दर्ज किय जानें की सहमति प्रकट की तथा आदेशिका पर सहमति बाबत् हस्ताक्षर किये। जिसे वकील वादनी ने प्रमाणित किया। चूंकि वादनी का नाम एक खातें में सूरजा बाई एवं दूसरे खातें में सूंजा बाई दर्ज है, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी वादनी का नाम दोनों खातों में भिन्न–भिन्न दर्ज होनें के कथन किये है। वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की छायाप्रतियों में वादनी का नाम सूरजा बाई पत्नी छीतरलाल अंकित है। जिससे प्रमाणित होता है कि वादनी का नाम सूरजा बाई है, जिसे वादनी दुरूस्त करवानें की अधिकारिणी है।

अतः वाद वादनी सहखातेदार की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 654 रकबा 1.02 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादनी का नाम सूंजा बाई पुत्री हीरा जाति नायक के स्थान पर सूरजाबाई उर्फ सूंजा बाई पुत्री हीरालाल जाति नायक दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।